बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश

आ0सं0–13 / स्था0–02–50 / 2026 / पटना / दिनांक –

मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, औरंगाबाद के पत्रांक–2138 दिनांक–03.10.2026 से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्रीमती ललीता साही (जे0 10561), कनीय अभियंता (असै0), सोन नहर प्रमण्डल, खगौल के 17 वर्षीय पुत्री (द्वितीय संतान) के देख–भाल हेतु दिनांक 05.10.2026 से 22.12.2026 तक (कुल–79 दिन) के अवधि को बिहार सेवा संहिता के नियम–220A तथा वित्त विभागीय संकल्प सं0–9889 दिनांक 01.12.2015 के प्रावधानों के तहत शिशु देखभाल अवकाश के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. नियंत्री पदाधिकारी उक्त अवकाश को HRMS Portal एवं सेवापुस्त में प्रविष्टि कराना सुनिश्चित करेंगे।

3. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0 / –
(मनीष आनंद)
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक – पटना / दिनांक –

प्रतिलिपि :–कोषागार पदाधिकारी, निर्माण भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक – पटना / दिनांक

प्रतिलिपिः– मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, औरंगाबाद के पत्रांक–2138 दिनांक–03.10.2026 के क्रम में / कार्यपालक अभियंता, सोन नहर प्रमण्डल, खगौल / श्रीमती ललीता साही (जे0 10561), कनीय अभियंता (असै0), सोन नहर प्रमण्डल, खगौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक – 6274 पटना / दिनांक – 30/10/2026

प्रतिलिपिः–कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, सूचना प्रावैद्यिकी केन्द्र, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को संबंधित सभी पदाधिकारियों के ईमेल पता पर भेजने तथा विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

28/10/26
अवर सचिव (प्रबंधन)।